कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल

पत्रांकः—264 / गृ0वि0 / 2025 दिनांकः— 03/03/2025

अति अल्पकालीन

नेजा मेला का ठेका उठाने हेतु नीलामी की सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, सम्भल में वर्ष 2025—नेजा मेला का ठेका उठाने हेतु नीलामी की खुली बोली के माध्यम से दिनांकः—12/03/2025..........दिन बुधवार.....समय पूर्वान्ह 11:00 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल के प्रांगण में की जायेगी।

कार्य / नीलामी का विवरण

क0 सं0	कार्य का विवरण	बोली / नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति हेतु पंजीकरण शुल्क	जमानत धनराशि
1	नगर पालिका ग्राउण्ड / परिसर व उसके आसपास जैसे— यशोदा चौराहा से कोतवाली तक, शंकर कालेज चौराहा से अस्पताल चौराहा होते हुए एजेन्टी चौराहा, राधू सिनेमा से कोतवाली तक अस्थाई नेजा मेला की नीलामी / ठेका	5,000 / —रूपये	1,00,000 / —रूपये

नीलामी में भाग लेने से पूर्व अनिवार्य शर्ते।

1—जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

2—पंजीकरण शुल्क।

3—जमानत धनराशि।

4—आधार कार्ड।

5—पैन कार्ड।

6—नगर पालिका परिषद, सम्भल से निर्गत अदेय प्रमाण पत्र।

7—बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा दस रूपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

शेष शर्ते निम्न प्रकार हैः—

1— बोली / नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकरण शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही नियत दिनांकः—11/03/2025......समय अपरान्ह् 05:00 बजे तक जमानत धनराशि (डी0डी0 / नकद) जमा करनी होगी। किन्तु पंजीकरण शुल्क वापस नहीं हागी। पंजीकरण शुल्क / जमानत धनराशि चेक के माध्यम से स्वीकार नहीं होगी।

2— पंजीकरण कराने के पश्चात् जमानत धनराशि जमा करने वाला व्यक्ति ही बोली / नीलामी में भाग ले सकता है।

3— नीलामी ठेका स्वीकृति के उपरान्त् कम संख्याः— 1 से 3 तक के कार्य हेतु उस व्यक्ति को कुल धनराशि का 1/2 भाग तत्काल जमा कराना होगा । शेष धनराशि कार्यादेश प्राप्त करने के उपरान्त जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

4— यदि किसी की बोली नहीं छुटती है तब ऐसी स्थिति में जमानत धनराशि चैक के माध्यम से वापस की जायेगी।

5— नेजा मेला के आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तक उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

H.T.C. R.I. कर निर्धारण अधिकारी नगर पा0 परि0 सम्भल

अधिशासी अधिकारी न0 पा0 परि0 सम्भल

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सम्भल

6– नेजा मेला में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई व्यवसाय नहीं किया जायेगा जिससे जन सामान्य की धार्मिक भावना आहत होती है।

7– नगर पालिका ग्राउण्ड/परिसर में नेजा मेला हेतु प्रशासनिक एवं फायर बिग्रेड विभाग से सम्बन्धित अनुमति ठेकेदार को स्वयँ अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

8– विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद–सम्भल का होगा।

9– नगर पालिका परिषद, सम्भल से सम्बन्धित कर्मचारी एवं अध्यक्ष/सभासद व इनके परिजनों को नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।

10– नीलामी ठेका स्वीकृति उपरान्त् उस व्यक्ति को कुल धनराशि का 4 प्रतिशत स्टाम्प जमा करना अनिवार्य होगा।

11– शर्ते पूरी न करने पर नगर पालिका परिषद, सम्भल के सक्षम अधिकारी को नीलामी ठेका निरस्त करने कर पूर्ण अधिकार होगा।

नगर पालिका परिषद, सम्भल की वेबसाईट www.nagarpalikasambhal.in पर उक्त नीलामी से सम्बन्धित विवरण, शर्ते देखी जा सकती है एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्भल

पत्र संख्या एवं दिनांक–तैदव।

प्रतिलिपिः–

1–सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र.....पंजाब केसरी / धारा-युग.....सम्भल को अपने अगामी अंक में छोटे आकार में कम से कम व्यय पर एक बार प्रकाशन हेतु।

2–नगर पालिका परिषद, सम्भल की वेबसाइट www.nagarpalikasambhal.in पर अपलोड करने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्भल

कर निर्धारण अधिकारी
नगर पा० परि० सम्भल